

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना./2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री बजरंग लाल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरा जिला झुंझुनू का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोहिना, (220130) जिला जोधपुर किया गया था जिसके विरुद्ध श्री बजरंग लाल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 831/2021 बजरंग लाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 831/2021 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 13.01.2021 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्री बजरंग लाल के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक रथगित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में याचिकार्थी श्री बजरंग लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरा (216040) जिला झुंझुनू में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे। श्री महेश चन्द्र, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डूंगरा (216040) जिला झुंझुनू का समायोजन राउमावि रोहिना, (220130) बाप जिला जोधपुर में प्रधानाचार्य के पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन पूर्णतया याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन रहेंगे।



(सौरम स्वामी)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/याचिका/बजरंग/831/21 दिनांक: 27.01.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जोधपुर/चूरू संभाग, जोधपुर/चूरू।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर/झुंझुनू।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जोधपुर/झुंझुनू।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)